उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

सं0 701 / 2017 / 9(120)XXVII(8) / 2017

देहरादून :: दिनांकः: 31 अगस्त, 2017

अधिसूचना / संशोधन

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 24 का संशोधन

2. दिनांक 22 जून, 2017 से, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 24 के वर्तमान उपनियम (4) में शब्द "नियत तिथि के तीस दिन की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द एवं अंक "दिनांक 30 सितम्बर, 2017 को अथवा इससे पूर्व" रख दिया जाएगा।

नियम 34 का संशोधन

3. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 के नियम 34 में स्तम्भ–1 में दिए गए नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
34 मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रूपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दरः कराधेय माल या सेवा या दोनों के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर, अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12 या धारा 13 के निबंधनानुसार ऐसी पूर्ति की बाबत पूर्ति के समय की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा यथा अवधारित उस मुद्रा के लिए लागू निर्देश दर होगी।	**34 मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रूपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दरः** (1) कराधेय माल के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 12 के निबन्धनानुसार ऐसे माल की पूर्ति के बाबत पूर्ति के समय की तारीख के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित लागू विनिमय की दर होगी। (2) कराधेय सेवाओं के मूल्य के अवधारण के लिये विनिमय की दर अधिनियम की धारा 13 के निबन्धनानुसार ऐसी सेवाओं की पूर्ति के बाबत पूर्ति